

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्री मूला पुत्र श्री उदा बैरवा निवासी थोरिया खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 119/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2017	<p>प्रकरण पंजीबद्ध करे विपक्षी के सम्मन जारी करे रेकार्ड तलब कर सुनवायी हेतु दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p>अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अतः पत्रावली पीठासीन अधिकारी को पेश है। अतः पत्रावली आवन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p>आदेश से</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अतः पत्रावली आवन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p>	
31/10/2017	<p>पत्रावली पेश हुई। अतः पत्रावली आवन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p>आदेश से</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अतः पत्रावली आवन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)</p>	